निगरानी विभाग, बिहार, पटना

क्र0 सं0	योजना/कार्य क्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम सेवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो।	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का नाम
01.	सूचनादाता को बिहार सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार पुरस्कृत किये जाने की योजना से संबंधित परिवाद।	भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पति तथा राज्य सरकार की राशि के दुर्विनियोग, गबन राज्य सकरार के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले एवं भ्रष्टाचार मिटाने के लिए घूसखोर को पकड़वाने वाले व्यक्ति को ईनाम या पुरस्कार दिया जाना है। सूचकों/ सूचनादाता को ₹ 1,000/– (एक हजार रुपए) से ₹ 50,000/– (पचास हजार रुपए) तक के पुरस्कार देने का प्रावधान है। उद्‌भेदन के फलस्वरूप अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राशि/बचत होने वाली राशि का अधिकतम दो प्रतिशत तक की राशि भी, जो कि अधिकतम ₹ 5,00,000/– (पाँच लाख रुपए) तक किए जाने का प्रावधान है। साथ ही सूचक/सूचनादाता को साक्ष्य समर्पित करने के क्रम में किए गए यात्रा के लिए यात्रा–भत्ता एवं खाने–पीने के लिए ₹ 200/– (दो सौ रुपए) मात्र प्रतिदिन की दर से राशि न्यूनतम दो दिनों लिए भी प्रोत्साहन भत्ता देय है। दोषसिद्धि न होने पर पुरस्कार की राशि वापस नहीं लिया जाए। अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के तहत सफल ढंग से अनुसंधान संचालित करने वाले अनुसंधानकत्ताओं/लोक अभियोजकों को भी समुचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। जो सूचनादाता सरकारी राशि के गबन दुर्विनियोग या घपले की जानकारी निगरानी विभाग को देता है एवं जाँचोपरांत मामला सही पाया जाता है तथा उस संबंध में कांड अंकित होता है और अनुसंधानोपरांत मामले में अपराधियों के विरुद्ध आरोप–पत्र दायर होता है तो निगरानी विभाग वैसे सटीक सूचनादाता को पुरस्कृत करेगा। घूसखोरों को पकड़वाने वाले परिवादकर्त्ता को उन्हें ट्रैप की राशि वापस करने के साथ–साथ पुरस्कार स्वरूप न्यूनतम ₹ 1,000/– (एक हजार रुपया) एवं अधिकतम ₹ 10,000/– (दस हजार रुपया) तक दिया जा सकता है।	1. सटीक सूचनादाता 2. अनुसंधानकर्त्ता/ लोक अभियोजकों 3. परिवादकर्त्ता	पुलिस महानिरीक्षक